राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड

राज्य मुख्यालय

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302015

टेलीफोन नं. 0141–2706830, 2706032 फेक्स नं. 0141–2707679,ई–मेलः–rajscoutguide@yahoo.com

क्रमांकः प. ( )रा.मु./2018–19/143 **दिनांकः –04.04.2018**

सर्कल ओर्गेनाइजर(स्काउट/गाइड) (संशोधित)

जिला मुख्यालय, समस्त।

विषयः– बाल विवाह रोकथाम कार्यक्रम।

जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड संगठन अपने कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के माध्यम से समाज मे व्याप्त कुरीतियों एवं बुराईयों के विरूद्व समय–समय पर सामाजिक जन चेतना कार्यक्रमों एवं रैलियों का आयोजन करता रहता है।

सामाजिक कुरीतियों की कड़ी में बाल विवाह एक महत्वपूर्ण घटक है। इस वर्ष 18 अप्रेल, 2018 को आखातीज शादी–विवाह का एक अबूज सांवा है। इस अवसर पर कई नाबालिंग बच्चों की शादियॉ कर दी जाती है।

अतः आपसे निवेदन है कि इस दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से स्थानीय संघों एवं जिला स्तर पर बाल विवाह रोकथाम के सम्बन्ध में विशाल जन चेतना रैलियों का आयोजन कर इस सामाजिक बुराई के उन्मूलन मे अपना अमूल्य योगदान प्रदान करावे।

आप द्वारा किये गये कार्यक्रमों की रिपोर्ट यथा समय मण्डल एवं राज्य मुख्यालय भिजवाऍं।

सधन्यवाद

भवदीय

राज्य सचिव

क्रमांकः–144–146 दिनांकः–04.04.2018

प्रतिलिपिः– आवश्यक सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. नीजि सचिव, माननीय स्टेट चीफ कमिश्नर महोदय, जयपुर।
2. माननीय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
3. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला मुख्यालय, समस्त।
4. राज्य मुख्यालय पदाधिकारीगण।
5. मण्डल मुख्यायुक्त/मण्डल सचिव, मण्डल मुख्यालय, समस्त।
6. सहायक राज्य संगठन आयुक्त(स्काउट/गाइड), मण्डल मुख्यालय, समस्त को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार कार्यक्रम की अनुपालना सुनिश्चित करावे।
7. सहायक प्रोग्रामर, राज्य मुख्यालय, जयपुर।

राज्य सचिव

Dailywork17-18.105